



**अध्याय-VI**  
**वाहनों पर कर**



## अध्याय—VI वाहनों पर कर

### 6.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग राज्य में वाहनों पर कर का आरोपण एवं संग्रहण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989, बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 और बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के अनुसार करता है। विभाग का नेतृत्व सरकार के शीर्ष स्तर पर प्रधान सचिव द्वारा और विभागीय स्तर पर राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा किया जाता है। मुख्यालय में राज्य परिवहन आयुक्त की सहायता दो संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्तों द्वारा की जाती है। राज्य को नौ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों<sup>199</sup> तथा 38 जिला परिवहन कार्यालयों में बाँटा गया है। उन्हें, मोटर वाहन निरीक्षक सहायता करते हैं। राज्य में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों का मुख्य कार्य वाहनों को रोड परमिट निर्गत करना है और मोटर वाहनों का निबंधन, करों व शुल्कों का आरोपण एवं संग्रहण तथा चालक अनुज्ञप्ति निर्गत करने का उत्तरदायित्व, जिला परिवहन पदाधिकारियों को सौंपा गया है। विभाग चालक अनुज्ञप्ति जारी करने और शुल्क के संग्रहण के लिए सारथी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा वाहन के पंजीकरण एवं सड़क कर के संग्रहण के लिए वाहन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है।

### 6.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2019-20 के दौरान लेखापरीक्षा ने परिवहन विभाग की 49 इकाईयों में से 16<sup>200</sup> के अभिलेखों का नमूना जाँच किया। लेखापरीक्षा जाँच में करों का नहीं/कम वसूली, परिवहन वाहनों से उद्ग्रहणीय कर वसूल नहीं किया जाना एवं अन्य अनियमितताओं से सन्निहित ₹492.22 करोड़ के 343 मामले उजागर हुए जैसा कि विवरणी तालिका 6.1 में दिखाया गया है।

**तालिका 6.1**  
**लेखापरीक्षा के परिणाम**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणियाँ	अवलोकनों की संख्या	राशि
1.	मोटर वाहन करों का नहीं/कम वसूल किया जाना	14	15.52
2.	तिपहिया वाहनों से एकमुश्त कर का नहीं/कम वसूल किया जाना	6	0.40
3.	ट्रैक्टर से एकमुश्त कर का नहीं/कम वसूली किया जाना	7	11.87
4.	प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति शुल्क एवं अधिभार का अनियमित अधिक वसूली	17	15.73
5.	कर के विलम्बित भुगतान के लिए व्यक्तिगत वाहनों से जुर्माने की अनियमित वसूली	10	1.52
6.	परीक्षण शुल्क एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र शुल्क की वसूली न होने के कारण सरकारी राजस्व की हानि	15	189.40
7.	व्यापार कर का नहीं/कम वसूल किया जाना	14	1.80
8.	अन्य मामले	260	255.98
	<b>कुल</b>	<b>343</b>	<b>492.22</b>

<sup>199</sup> भागलपुर, दरभंगा, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, सहरसा और सारण (छपरा)।

<sup>200</sup> जिला परिवहन कार्यालय— औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी) गया, कैमूर (भभुआ), मुजफ्फरपुर, नालंदा, सारण (छपरा), सीवान एवं वैशाली, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार—अरवल, मुजफ्फरपुर, पटना और शिवहर।

विभाग ने अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान 121 मामलों में ₹237.03 करोड़ के कम आरोपण, कम वसूली एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जो 2019-20 के दौरान इंगित किया गया था। 2019-20 के शेष मामलों और पहले के वर्षों के मामलों के उत्तर अप्राप्त थे (अगस्त 2021)।

### 6.3 वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण नहीं होने के कारण जाँच शुल्क एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र शुल्क का वसूली नहीं होना

जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा 22,684 वाहनों का फिटनेस प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण सुनिश्चित नहीं किया गया जिनके द्वारा जनवरी 2017 से जनवरी 2020 के अवधि में सड़क शुल्क भुगतान किया गया था। इसके फलस्वरूप ₹48.36 करोड़ (जाँच शुल्क ₹96.74 लाख, नवीनीकरण शुल्क ₹45.37 लाख एवं अतिरिक्त शुल्क ₹46.94 करोड़) का वसूली नहीं हुआ।

मोटर वाहन अधिनियम के धारा 56 के साथ पठित केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 62 के अनुसार एक परिवहन वाहन को तब तक वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जाएगा, जब तक कि वह फिटनेस प्रमाण-पत्र नहीं रखता है। एक नये पंजीकृत परिवहन वाहन के लिए एक फिटनेस प्रमाण-पत्र दो वर्षों के लिए वैध है और तिपहिया एवं हल्के मोटर वाहनों के लिए ₹400 और भारी वाहनों के लिए ₹600 के निर्धारित परीक्षण शुल्क के भुगतान पर प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत किया जाना आवश्यक है जो 29 दिसम्बर 2016 से लागू है। इसके अतिरिक्त, सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए ₹200 का नवीनीकरण शुल्क भी देय है। इसके अनुपालन नहीं होने के मामले में देरी के प्रत्येक दिन के लिए रुपये पचास का अतिरिक्त शुल्क भी लगाया जाना था।

लेखापरीक्षा ने परिवहन वाहनों (तिपहिया, हल्के माल वाहन, कैब/टैक्सी, ई-रिक्शा, मालवाहक गाड़ी, ट्रैक्टर और बस) के संबंध में नमूना जाँचित पाँच जिला परिवहन कार्यालयों<sup>201</sup> में वाहन डाटाबेस में मालिक, कर एवं फिटनेस तालिका का जाँच किया (जून 2020 से अप्रैल 2021 के बीच) और पाया कि नमूना-जाँचित 47,717 वाहनों में से 22,684 वाहन जनवरी 2017 और जनवरी 2020 के बीच बिना वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र के चलाए गए यद्यपि देय कर की वसूली किया गया था। इस प्रकार, ₹48.36 करोड़ (₹96.74 लाख परीक्षण शुल्क, ₹45.37 लाख नवीनीकरण शुल्क और ₹46.94 करोड़ अतिरिक्त शुल्क) के राजस्व की वसूली नहीं हुई जैसा कि परिशिष्ट-6.1 में वर्णित है।

फिटनेस की समाप्ति से संबंधित सूचना वाहन सॉफ्टवेयर में उपलब्ध था लेकिन जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा न तो कोई कार्रवाई की गई और न ही अयोग्य वाहनों को रोकने के लिए प्रवर्तन स्कंध को सूची प्रस्तुत किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारियों ने न तो इन वाहनों के निबंधन/परमिट को रद्द करने के लिए कार्रवाई शुरू की जिनके फिटनेस प्रमाण-पत्र की समय सीमा समाप्त हो गई थी और न ही दोषी वाहन मालिकों को कोई सूचना निर्गत की। ऐसे वाहनो का चलना सार्वजनिक सुरक्षा के जोखिम से भरा हुआ था।

जिला परिवहन पदाधिकारियों ने अपने उत्तर में कहा (जून 2020 से अप्रैल 2021 के बीच) कि वाहन मालिकों को सूचना दी जायेगी और चूककर्ता वाहनों की सूची आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रवर्तन स्कंध को सूचित की जायेगी।

वाहन सॉफ्टवेयर में वाहनों की फिटनेस की समाप्ति के बारे में जानकारी की उपलब्धता के अनुसार जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटर वाहन निरीक्षक को अयोग्य वाहन को चलने से रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना चाहिए था तथा इन वाहनो से वसूलनीय

<sup>201</sup> गोपालगंज, नवादा, पटना, रोहतास और सहरसा।

फिटनेस नवीनीकरण शुल्क के रूप में राजस्व का आवर्धन करना चाहिए था। इसके अलावा इस प्रकार के वाहन सुरक्षा एवं पर्यावरणीय खतरा पैदा करते हैं जिसे जिम्मेदार प्राधिकारियों द्वारा ससमय कम किया जाना चाहिए था।

मामला सरकार को अगस्त 2021 में प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

#### 6.4 मोटर वाहन कर की वसूली नहीं होना

वाहन डाटाबेस में चूककर्ता वाहन मालिकों द्वारा मोटर वाहन करों का भुगतान नहीं करने की जानकारी उपलब्ध होने के बावजूद जिला परिवहन पदाधिकारियों ने कर चूककर्ता सूची बनाने के लिए वाहन के कर तालिका की जाँच या समीक्षा नहीं की। परिणामस्वरूप, जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा कर चूककर्ता को कोई माँग पत्र जारी नहीं किया गया और फलस्वरूप ₹17.97 करोड़ का कर वसूली नहीं हुआ।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 5 एवं 9 के अनुसार प्रत्येक निबंधित मोटर वाहन का मालिक कर पदाधिकारियों जिसके अधिकार क्षेत्र में वाहन निबंधित है, को वार्षिक वाहन कर का भुगतान करेगा। पुनः, उपरोक्त अधिनियम के धारा 6(अ) के तहत देय वार्षिक कर के एक प्रतिशत के दर से सड़क सुरक्षा उपकर वसूल करने का प्रावधान है। निवास/व्यवसाय में बदलाव की स्थिति में मोटर वाहन मालिक नये कर पदाधिकारी को कर का भुगतान कर सकता है बशर्ते उसके पास पिछले कर पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र हो। इसके अतिरिक्त, कर पदाधिकारी वाहन मालिक को कर के भुगतान से छूट दे सकता है। बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली की नियम 4(2) यह प्रावधित करता है कि जहाँ किसी वाहन का कर 15 दिनों से ज्यादा का बकाया है तो कर पदाधिकारी देय करों के 25 प्रतिशत से 200 प्रतिशत तक अर्थदण्ड लगा सकता है।

लेखापरीक्षा ने 10 जिला परिवहन कार्यालयों<sup>202</sup> में वाहन डाटाबेस में चूककर्ता, मालिक और कर तालिका की जाँच किया (जून 2020 से अप्रैल 2021 के बीच) और पाया कि 40,210 परिवहन वाहनों (जो जनवरी 2005 से मार्च 2020 के बीच निबंधित किये गये थे) जिन्हें वार्षिक/त्रैमासिक कर भुगतान करना था उनमें से 5,389 परिवहन वाहनों ने फरवरी 2016 से मार्च 2020 के अवधि के लिए मोटर वाहन कर का भुगतान नहीं किया। इनमें से किसी भी मामले में संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों में पते का परिवर्तन, निबंधन प्रमाण-पत्र का समर्पण या वाहनो का परिचालन नहीं होने, का साक्ष्य अभिलेखों में नहीं था।

हालाँकि, चूककर्ता वाहन मालिकों द्वारा मोटर वाहन करों का भुगतान न करने की जानकारी वाहन डाटाबेस में जिला परिवहन कार्यालय के पास उपलब्ध थी, उन्होंने प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से कर चूककर्ता सूची बनाने के लिए वाहन की कर तालिका की जाँच या समीक्षा नहीं की। परिणामस्वरूप, जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा न ही चूककर्ता वाहनों की सूची प्रवर्तन स्कन्ध को भेजा गया और न ही कर चूककर्ता को कोई माँग पत्र जारी किया गया। फलस्वरूप कर और अर्थदण्ड ₹17.97 करोड़ (सड़क कर: ₹5.97 करोड़, सड़क सुरक्षा उपकर: ₹5.97 लाख एवं अर्थदण्ड ₹11.94 करोड़) की वसूली नहीं हुआ जैसाकि परिशिष्ट-6.2 में वर्णित है।

इसे इंगित किए जाने के बाद, संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा कहा गया (जून 2020 से अप्रैल 2021 के बीच) कि कर एवं अर्थदण्ड के वापसी के लिए माँग-पत्र चूककर्ता वाहन मालिकों को दी जायेगी।

<sup>202</sup> बेगुसराय, भोजपुर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा और वैशाली।

मामला सरकार को अगस्त 2021 में प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

### 6.5 नये खरीदे गए अनिबंधित वाहनों द्वारा सर्वक्षमा योजनाओं का लाभ उठाना

**सर्वक्षमा योजना की अधिसूचना के बाद निबंधित वाहनों के मालिकों ने सर्वक्षमा योजना का अनियमित लाभ प्राप्त किया जिसके परिणामस्वरूप ₹1.51 करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ।**

परिवहन विभाग ने कर प्रमादी निबंधित/अनिबंधित वाणिज्यिक/मालवाहक वाहनों एवं ट्रैक्टरों जो कृषि/वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए उपयोग किये जाते हैं के लिए 05 जुलाई 2017 से 04 जनवरी 2018 तक सर्वक्षमा योजना अधिसूचित किया (जुलाई 2017) जिसे 30 जून 2018 तक आगे बढ़ा दिया गया था। यह योजना प्रावधित करता था कि:

(1) कर प्रमादी निबंधित/अनिबंधित ट्रैक्टर-ट्रेलर जिसका उपयोग कृषि/वाणिज्यिक गतिविधियों में किया जाता है, अधिसूचना जारी करने की तिथि से केवल छः महीने की अवधि के भीतर केवल ₹25,000 की एकमुश्त राशि की जमा पर निबंधित/नियमित किया जाएगा।

(2) अन्य सभी प्रकार के निबंधित/ अनिबंधित वाणिज्यिक/मालवाहक वाहन, जो कर बकाएदार है, अधिसूचना जारी होने की तिथि से छः महीने के भीतर 25 प्रतिशत अर्थदण्ड के साथ देय कर के जमा होने पर निबंधित/नियमित किया जाएगा और उस पर नीलामवाद का मामला वापस ले लिया जाएगा।

परिवहन विभाग ने आगे कर प्रमादी निबंधित/अनिबंधित ट्रैक्टर-ट्रेलर और सभी अन्य प्रकार के वाणिज्यिक एवं मालवाहक वाहनों के लिए दूसरा सर्वक्षमा योजना अधिसूचित किया (नवम्बर 2019)। यह उन वाहनों पर लागू होता था जो 15 नवम्बर 2019 को विगत एक वर्ष तक के लिए प्रमादी थे। इस योजना के अधीन ट्रैक्टर-ट्रेलर के मामले में एकमुश्त ₹25,000 भुगतान करना था और अन्य वाहनों के मामले में देय कर व 30 प्रतिशत अर्थदण्ड भुगतान करना था।

लेखापरीक्षा ने चार जिला परिवहन कार्यालयों<sup>203</sup> के वाहन डाटाबेस के मालिक और कर तालिका की जाँच की (अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 के बीच) और पाया कि सर्वक्षमा योजना के अंतर्गत निबंधित (जुलाई 2017 से मार्च 2020 के बीच) 662 वाहन (ट्रैक्टर-571, तिपहिया-13, हल्के मालवाहक वाहन-32, मैक्सी कैब-6 और ई रिक्शा-40) वैसे थे जिन्हें इस योजना के अधिसूचना की तिथि के बाद (7 जुलाई 2017 से 12 फरवरी 2020 के बीच) खरीदा गया था। इस प्रकार ये वाहन कर चूककर्ता नहीं थे क्योंकि इन्हें सर्वक्षमा योजना के अधिसूचना की तिथि के बाद खरीदा गया। तथापि ट्रैक्टर मालिकों ने बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम के धारा 7(8) के अधीन देय अर्थदण्ड के साथ वाहन बिक्री मूल्य के 4.5 प्रतिशत के स्थान पर ₹25,000 की एकमुश्त राशि का भुगतान कर इस योजना का अनियमित लाभ प्राप्त किया। अन्य श्रेणी के वाहनों के मामलों में बिहार मोटर वाहन काराधान नियमावली, 1994 के नियम 4(2) के अनुसार विलम्ब से भुगतान के लिए 200 प्रतिशत अर्थदण्ड के स्थान पर उन्हें देय

<sup>203</sup> भोजपुर, नवादा, रोहतास और सहरसा।

कर और केवल 25 प्रतिशत अर्थदण्ड के भुगतान के बाद निबंधित किया गया। जिसके परिणामस्वरूप ₹1.51 करोड़ के राजस्व की हानि हुई (परिशिष्ट-6.3)।

इसे इंगित किए जाने के बाद, संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा कहा गया कि वाहन सॉफ्टवेयर में वैलिडेशन के अभाव में ये वाहन सर्वक्षमा योजना के अधीन निबंधित किये गये। जिला परिवहन कार्यालय नवादा ने आगे बताया कि सभी अधिकृत विक्रेताओं को नोटिस निर्गत करने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

मामला सरकार को अगस्त 2021 में प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

## 6.6 एकमुश्त कर की वसूली के बिना निबंधन चिन्ह का निर्धारण

संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने आवेदन की स्वीकृति और इसके परिणामस्वरूप वाहन-2.0 में निबंधन चिन्ह के सृजन के समय ₹1.44 करोड़ के देय कर वसूली सुनिश्चित नहीं की।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1994, समय-समय पर यथा संशोधित की धारा-5 तथा धारा 7(8), प्रावधित करता है कि वाहनों के लागत मूल्य पर पूरे जीवनकाल के लिए निर्धारित दर से एकमुश्त कर लगाया जाएगा। पुनः बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली 1994 के नियम 4(2) प्रावधित करता है कि नियत तिथि से 15 दिनों के भीतर कर का भुगतान न करने की स्थिति में देय कर के 25 से 200 प्रतिशत तक अर्थदण्ड लगाया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने चार जिला परिवहन कार्यालयों<sup>204</sup> में वाहन डाटाबेस के मालिक और कर तालिका का जाँच किया (अक्टूबर 2020 और मार्च 2021 के बीच) और पाया कि 1,14,308 नमूना-जाँचित एकमुश्त कर भुगतान करने वाले वाणिज्यिक वाहनों में से 319 मोटर वाहनों (ट्रैक्टर-150, तिपहिया-44, हल्के मालवाहक वाहन-12, मैक्सी/कैब/दुपहिया-14 और ई-रिक्शा-99) के मालिकों ने अप्रैल 2016 से फरवरी 2020 के बीच अपने निबंधन के समय एकमुश्त कर का भुगतान नहीं किया। हालाँकि देय एकमुश्त कर के भुगतान नहीं होने के कारण निबंधन प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया था, लेकिन वाहन-2.0 में निबंधन के लिए उनके आवेदन को स्वीकार किया गया और निबंधन चिन्ह बनाने के लिए प्रक्रमणित किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि एकमुश्त कर का भुगतान नहीं करने की सूचना वाहन डाटाबेस में जिला परिवहन पदाधिकारियों के पास उपलब्ध थी, फिर भी संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने अर्थदण्ड नहीं लगाया और एकमुश्त कर की वसूली के लिए नीलामवाद पत्र दायर नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹1.44 करोड़ के एकमुश्त कर की वसूली नहीं हुई जैसा कि परिशिष्ट-6.4 में वर्णित है। इसके अलावा, उचित निबंधन प्रमाण-पत्र के बिना इन वाहनों का सड़क पर चलने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है जो सार्वजनिक बचाव और सुरक्षा के लिए चिन्ता का विषय था क्योंकि इन अनिबंधित वाहनों का उपयोग अवैध गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

इंगित किये जाने पर, संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने कहा (अक्टूबर 2020 और मार्च 2021) कि बकाया राजस्व की वसूली के लिए माँग-पत्र जारी किया जाएगा।

मामला सरकार को अगस्त 2021 में प्रतिवेदित किया गया, उत्तर प्रतीक्षित है।

<sup>204</sup> भोजपुर, नवादा, रोहतास और सहरसा।

### 6.7 सारथी सॉफ्टवेयर में सड़क सुरक्षा उपकरण के परिमाणन न होने के कारण चालक अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए सड़क सुरक्षा उपकरण का आरोपण नहीं होना

**सारथी सॉफ्टवेयर में सड़क सुरक्षा उपकरण के परिमाणन न होने के कारण विभाग चालक अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण पर ₹95.44 लाख का सड़क सुरक्षा उपकरण का आरोपण सुनिश्चित नहीं कर सका**

बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम 1994 की धारा 6(अ) यह प्रावधित करता है कि प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी से प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति, दुपहिया वाहन अनुज्ञप्ति, हल्के माल मोटर वाहन-गैरपरिवहन अनुज्ञप्ति, हल्के मोटर वाहन परिवहन अनुज्ञप्ति एवं मध्यम तथा भारी मोटर वाहनों के लिए अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए क्रमशः ₹ 50, ₹100, ₹150, ₹200, एवं ₹500 की दर से सड़क सुरक्षा उपकरण आरोपित एवं वसूल किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने 10 जिला परिवहन कार्यालयों<sup>205</sup> के सारथी डाटाबेस में चालक अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के मामलों का जाँच किया (जून 2020 और अप्रैल 2021 के बीच) और पाया कि सितम्बर 2016 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान 95,442 चालक अनुज्ञप्तियों के वैधता की नवीनीकरण के मामलों में सड़क सुरक्षा उपकरण का आरोपण नहीं किया गया था क्योंकि सड़क सुरक्षा उपकरण का सारथी सॉफ्टवेयर में परिमाणन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि सारथी सॉफ्टवेयर में चालक अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए वाहन श्रेणी-वार डाटा बनाने का कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए उक्त जानकारी के अभाव में सड़क सुरक्षा उपकरण के कम आरोपण की गणना निम्नतम कोटि अर्थात दुपहिया के लिए लागू दर के आधार पर किया गया। इस अनियमितता के परिणामस्वरूप ₹95.44 लाख के सड़क सुरक्षा उपकरण की वसूली नहीं हुई जैसा कि परिशिष्ट-6.5 में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद, दो जिला परिवहन कार्यालयों (पटना और पूर्णिया) ने इस तथ्य को स्वीकार किया (जून 2020) कि चालक अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए सड़क सुरक्षा उपकरण को सारथी सॉफ्टवेयर में परिमाणन नहीं किया गया था और कहा कि लेखापरीक्षा मुद्दे से विभाग को अवगत करा दिया गया था जबकि शेष जिला परिवहन कार्यालयों ने कहा कि लेखापरीक्षा आपत्ति विभाग को सूचित किया जायेगा।

मामला सरकार को अगस्त 2021 में प्रतिवेदित किया गया, उत्तर प्रतीक्षित है।

<sup>205</sup> बेगुसराय, भोजपुर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा और वैशाली।